प्राक्कथन

मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में सिविल मंत्रालयों के वित्तीय लेन-देनों की अनुपालन लेखापरीक्षा में उद्घटित हुए निष्कर्ष निहित हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वह हैं जो 2011-12 की लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये थे। तथापि, पूर्व वर्ष से संबंधित मामले जिन्हें पिछले प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं किया जा सका था तथा 2011-12 के बाद की अवधि से संबंधित मामले, जहाँ भी आवश्यक समझा गया है, भी सम्मिलित किये गये हैं।